

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश)

देहरादून, शनिवार, 24 जून, 2006 ई0

आषाढ़ 03, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन वित्त अनुभाग–9

संख्या 235/XXVII(9)/स्टाम्प/2006 देहरादून, 24 जून, 2006

अधिसूचना

40 3TO-64

राज्यपाल, (समय-समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की घारा 9 की उप-घारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल अल्प संख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम को मुख्य बाईपास, सहारनपुर रोड, देहरादून में "मुसाफिरखाने" के निर्माण हेतु नगर निगम, देहरादून द्वारा आवंटित भूमि (0.385 हेक्टेयर) पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क रु० 1,15,500 (रु० एक लाख पन्द्रह हजार पांच सौ मात्र) तक की छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से, इन्दु कुमार पाण्डे, प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 235/XXVII(9)/Stamp/2006, dated June 24, 2006 for general information:

No.235/XXVII(9)/Stamp/2006 Dated Dehradun, June 24, 2006

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899) (as amended from time to time), the Governor is pleased to remit the stamp duty on the land (0.385 Hectares) allotted to Uttaranchal Alpa Sankhyaka Kalyan Tatha Waqf Vikas Nigam by Municipal Corporation, Dehradun for the construction of "Musafirkhana" at the main bypass Saharanpur Road, Dehradun upto Rs. 1,15,500 (Rupees one lakh fifteen thousand and five hundred only).

By Order,

INDU KUMAR PANDE, Pramukh Sachiv.